राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित: समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प.10(8)राज-6/2001/ 18 जयपुर, दिनांक:- 19/11/01

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग/ उच्च मार्ग के केन्द्र बिन्दु से कितनी दूरी पर उद्योग स्थापित-बाबत् मार्गदर्शन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग/उच्च मार्ग के केन्द्र बिन्दु से कितनी दूरी पर उद्योग स्थापित हो इस बाबत् उद्योग विभाग द्वारा क्रमांक प.4(58)उद्योग-1/95 दिनांक 31.10.2001 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये है । (प्रति नीचे संलग्न है) कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करावें ।

भवदीय,

(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.4(58)उद्योग-1/95 दिनांक: 31.10.2001

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.6.1999 के अतिक्रमण में औद्योगिक नीति 1998 के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर निजी/राजकीय भूमि पर सामान्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों के केन्द्र बिन्दु से 100 मीटर की दूरी पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी, किन्तु औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों के केन्द्र बिन्दु से 75 मीटर की दूरी से बाउण्डरीवाल बनाने की अनुमति होगी । शेष 25 मीटर की भूमि का उपयोग औद्योगिक भवन के निर्माण में नहीं होगा। इस 25 मीटर भूमि का उपयोग खाली स्थान के रूप में वृक्षारोपण अथवा अन्य सेवाओं के लिए ही किया जा सकेगा ।

अत: भविष्य में राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्गों पर निजी एवं राजकीय भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिए पंजीयन/अनुमति उपरोक्त निर्णयानुसार दी जावेगी।

आज्ञा से ,
ह0/
शासन उप सचिव,प्रथम

प्रतिलिपि: शासन उप सचिव, राजस्व-3 विभाग ।

शासन उप सचिव